बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

मार्गदर्शिका

राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्त्ति

राज्य स्कीम के अंतर्गत संकल्प संख्या–1143 दिनांक–10.05.2018 द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्त्ति करने की स्वीकृति दी गई है।

2. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कल्याण संस्थाओं एवं छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को अनुदानित (Subsidised) दर पर खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्त्ति करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रति माह 15 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) उपलब्ध कराया जाएगा।

3. इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न के हथालन एवं परिवहन का कार्य बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी (Door Step Delivery) योजना, 2016 के अनुरूप किया जाएगा।

4. खाद्यान्न की अधियाचना एवं आपूर्तिः–

(i) संबंधित विभाग द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु अधियाचना खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जाएगी। नए छात्रावास के निर्माण एवं संचालन के पश्चात् संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृत छात्रबल के आलोक में संशोधित अधियाचना खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न का आवंटन संबंधित विभाग द्वारा जिलावार करते हुए राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य खाद्य निगम द्वारा उक्त जिलावार आवंटित खाद्यान्न को कम्प्यूटर में उक्त आँकड़ा को फ्रीज (Freeze) कर दिया जाएगा।

(iii) जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा छात्रावासवार उपावंटन किया जाएगा।

(iv) जिला स्तर के पदाधिकारी द्वारा अपने यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड द्वारा प्राप्त आवंटन को छात्रावासवार आवंटित कर उनके द्वारा आवंटन के आँकड़ों को फ्रीज (Freeze) कर दिया जाएगा।

(v) मासिक व्यवस्था के तहत छात्र–छात्राओं को अनुमान्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है, जिस हेतु भारत सरकार द्वारा बी0पी0एल0 दर पर आवंटित खाद्यान्न का पहले माह में उठाव के लिए भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न क्रय करने हेतु संबंधित सभी विभागों द्वारा एकमुश्त राशि Revolving fund के रूप बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि निगम द्वारा अग्रिम रूप से खाद्यान्न क्रय कर समय–सीमा के अन्तर्गत उठाव किया जा सके। अगले माह हेतु खाद्यान्न का आवंटन जिलों से प्राप्त अवशेष खाद्यान्न (अवितरित खाद्यान्न की मात्रा) को घटाते हुए किया जाएगा, जिसके एवज में भंडार निर्गमादेश के विरूद्ध जिलास्तर पर कर्णाकित बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त राशि राज्य मुख्यालय के केन्द्रीकृत बैंक खाते में एकीकृत (Sweep) होकर जमा हो जाएगा।

(vi) अगले माह का खाद्यान्न जिला कल्याण पदाधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/सम्बन्धित जिला स्तरीय पदाधिकारी छात्रावास में वितरण के उपरांत अवशेष खाद्यान्न को अगले माह के आवंटन में समायोजित करते हुए छात्रावासवार आवंटन निर्गत किया जाएगा एवं तद्नुसार आवंटन को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(vii) विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में प्रत्येक छात्रावास को खाद्यान्न आपूर्ति करने हेतु डिलेवरी शिडयूल जिला स्तर पर तैयार किया जाएगा। जिला के एक ही गोदाम से जिला के सभी छात्रावासों को डिलेवरी शिडयूल के अनुसार निर्धारित दिवस का प्रचार–प्रसार कराते हुए खाद्यान की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। छात्रावास के अधीक्षक या उनके द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी खाद्यान्न की प्राप्ति करेंगे, जिसका सत्यापन जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/अन्य संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी करेंगे। सहायक गोदाम प्रबंधक की पूर्ण जिम्मेवारी होगी कि गोदाम से खाद्यान्न का उठाव ससमय कराते हुए छात्रावासों में 12.00 बजे दोपहर तक खाद्यान्न पहुँचाने की व्यवस्था करें, ताकि उसी दिन इसका Unloading हो सके।

5. भुगतान की प्रक्रिया :–

(i) छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्र/छात्राओं की प्राप्ति सूची संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी को समर्पित की जाएगी।

(ii) जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा आपूर्त्ति किए गए खाद्यानों की राशि की गणना कर संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी को समर्पित की जाएगी।

(iii) सभी छात्रावास अधीक्षक/नोडल पदाधिकारी से प्राप्त वितरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा अपने आवंटन के अनुरूप ई–चालान के माध्यम से किसी भी बैंक से राशि का हस्तांतरण निगम के अधिकृत खाते में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/ पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से की जाएगी।

(iv) डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से राज्य निगम के गोदामों तक तथा राज्य खाद्य निगम के गोदामों से छात्रावासों तक वास्तविक खाद्यान्न की मात्रा के अनुसार परिवहन एवं हथालन तथा अन्य मद में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को संबंधित विभाग द्वारा ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। खाद्यान्न के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था कंडिका–(5) (Vii) के आलोक में प्रत्येक मासिक आवंटन के अनुरूप S.I.O. निर्गत करने के कर्णाकित खातों में की जाएगी एवं इसी प्रकार डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 हेतु दर का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा एवं प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिला प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराये गये विपत्र के आधार पर जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा कर्णाकित खातों में RTGS/NEFT/PFMS के माध्यम से की जाएगी।

6. **खाद्यान्न का उपयोगिता प्रमाण पत्रः–** बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा उठाव किये गये एवं छात्रावासों को आपूरित खाद्यान्न का जिलावार वितरण के उपरान्त त्रैमासवार रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग एवं उसकी एक प्रति जिला प्रबंधक को दी जाएगी। जिला प्रबंधक द्वारा उपर्युक्त खाद्यान्न के उपयोगिता प्रमाण पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित कर महाप्रबंधक (जन वितरण), बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। छात्रावासों के अन्तर्गत वितरित खाद्यान्न का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक त्रैमासवार संबंधित विभाग द्वारा ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। संबंधित विभाग एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम सभी जिलों के उपयोगिता प्रमाण पत्र को एकीकृत कर त्रैमासवार खाद्य एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा, जिनका मिलान कर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा भारत सरकार को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा (उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न)।

7. **योजना का अनुश्रवणः–**

(i) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रनायक के साथ प्रत्येक माह में एक बैठक आयोजित करेंगे तथा विचार–विमर्श कर योजना के कार्यान्वयन में उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण करेंगे।

(ii) इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने एवं इसकी अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में निम्नांकित सदस्य होंगेः–

(1) उप विकास आयुक्त – अध्यक्ष
(2) जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी – सदस्य
(3) संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी – सदस्य सचिव
(4) जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम – सदस्य

(iii) जिला स्तरीय समिति की बैठक कम–से–कम तीन माह में एक बार आयोजित की जाएगी। आवश्यकतानुसार किसी भी समय बैठक का आयोजन किया जा सकता है।

(iv) राज्य स्तर पर प्रत्येक विभाग यथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के स्तर योजना के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :–

(1) निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग – अध्यक्ष
(2) सम्बन्धित विभाग के प्रभारी उप सचिव/सहायक निदेशक – सदस्य
(3) प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी – सदस्य
(4) प्रबंधक निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी – सदस्य

(v) राज्य स्तरीय समिति की बैठक वर्ष में कम–से–कम दो बार/आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएगी।

(vi) विभाग आवश्यकतानुसार समिति के विभागीय पदाधिकारियों को परिवर्तित कर सकेगा।

8. आंकड़ों का संधारण एवं मूल्यांकन :–

संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी छात्रावास अनुदान की राशि की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र अपने विभाग को समर्पित करेंगे। विभाग के स्तर पर वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि से सम्बन्धित प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आंकड़ों को संधारित किया जाएगा तथा योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जायेगा।

9. एम0आई0एस0:–

भविष्य में आवश्यकतानुसार मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (MIS) विकसित कर इस योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जाएगा।

10. अन्य:–

समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में परिवर्त्तन किया जा सकता है तथा कार्यान्वयन के क्रम में नये निदेश/अनुदेश निर्गत किये जा सकते हैं।

4.9.18

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/निदे0(छात्रावास)–विविध–66–12/2018–2144 पटना, दिनांक– 04.09.18

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.9.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/निदे0(छात्रावास)–विविध–66–12/2018–2144 पटना, दिनांक– 04.09.18

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.9.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/निदे0(छात्रावास)–विविध–66–12/2018–2144 पटना, दिनांक– 04.09.18

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, अल्प संख्यक कल्याण विभाग/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.9.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/निदे0(छात्रावास)–विविध–66–12/2018–2144 पटना, दिनांक– 04.09.18

प्रतिलिपि:– निदेशक/सचिव, के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/उप निदेशक (मु0)/अवर सचिव/सभी सहायक निदेशक/सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.9.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/निदे0(छात्रावास)–विविध–66–12/2018–2144 पटना, दिनांक– 04.09.18

प्रतिलिपि:–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.9.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/निदे0(छात्रावास)–विविध–66–12/2018– 2144 पटना, दिनांक– 04.09.18

प्रतिलिपिः– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर (NIC), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.9.18
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/निदे0(छात्रावास)–विविध–66–12/2018– 2144 पटना, दिनांक– 04.09.18

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4.9.18
सरकार के सचिव।